प्रेषक,

कमलेश कुमार
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 11 फरवरी, 2026

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लालाराम पुत्र श्री कन्धईलाल, निवासी जनपद-पीलीभीत की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-20262/प्रो0अनु0(2)-(बैठक दिनांक 28.06.2024, दि0 08.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लालाराम पुत्र श्री कन्धईलाल, ग्राम-मोहम्मदगंज रम्पुरा, थाना-बरखेड़ा, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। प्रधानी के चुनाव में हार जाने को लेकर चल रहे मनमुटाव के कारण बंदी ने 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 10.03.2001 को होली मिलन के अवसर पर लालता प्रसाद व उसके परिवारीजनों पर बन्दूक देशी तमन्चा, बांका, सूजा, लाठी व बल्लम से हमला कर दिया, जिसमें मोतीराम, देवीराम, हेमराज, चुन्नीलाल व महेन्द्रपाल नामक 05 लोगों की मृत्यु हो गयी तथा 07 लोग घायल हो गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-212/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 436/149, 307/149, 302/149, 506 व 7 सी0आर0एल0ए0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/ एस0टी0 एक्ट), पीलीभीत को आदेश दिनांक 23.01.2004 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश 23-09-2005 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 07.01.2024 तक अपरिहार 19 वर्ष, 09 माह, 21 दिन तथा सपरिहार 24 वर्ष 04 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 51 वर्ष 10 माह 01 दिन है।

3- पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा बंदी को कारागार से रिहा किए जाने पर पुनः अपराध का अवसर होने, बन्दी को आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने तथा दोनों पक्षो के मध्य विवाद विद्यमान होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 17.10.2023 को बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि प्रधानी के चुनाव में हार जाने को लेकर चल रहे मनमुटाव के कारण बंदी ने 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर होली मिलन के अवसर पर लालता प्रसाद व उसके परिवारीजनों पर बन्दूक देशी तमन्चा, बांका, सूजा, लाठी व बल्लम से हमला कर दिया, जिसमें मोतीराम, देवीराम, हेमराज, चुन्नीलाल व महेन्द्रपाल नामक 05 लोगों की मृत्यु हो गयी तथा 07 लोग घायल हो गये। बंदी द्वारा कारित अपराध व्यापक रूप से समाज को प्रभावित करता है। बंदी की समयपूर्व रिहाई से दोनो पक्षों के मध्य विवाद विद्यमान होने बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अर्न्तगत सिद्धदोष बन्दी लालाराम पुत्र कन्पईलाल को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लालाराम (बन्दी सं0-15594) पुत्र श्री कन्धईलाल, निवासी जनपद-पीलीभीत की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-116/2026/1150(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
2- अधीक्षक, आदर्श कारागार लखनऊ।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।